भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल अस्पताल में, **"स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड- II), एव स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड- I)"**पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, कलावती सरन बाल अस्पताल में, **""स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड- II)**, एव स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड- I)" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ पणधारक भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.–II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल कर सकते हैं।-

जी. सामंत
(जी पी सामंत)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड–3, उपखण्ड (i)में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2019

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उनका संबंध ड्राईवर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II) और स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम** और प्रारंभ:(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-II), स्टाफ कार ड्राईवर (ग्रेड-I) भर्ती नियम, 2019 है |
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

2. **पदों की संख्या**, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं|

3. **भर्ती की पद्धति**, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि–भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने** की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड)	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रु.)	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड़, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : 1. मोटर कार चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस ; 2. मोटर मकैनिज़्म का ज्ञान (अभ्यार्थी को वाहन में छोटी-मोटी खराबी ठीक करनी आनी चाहिए) ; 3. कम से कम तीन वर्ष का मोटर कार चलाने का अनुभव ; और 4. 10वीं कक्षा पास। वांछनीय: होमगार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।	लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले अथवा पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन : लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के ऐसे नियमित डिस्पैच राईडर (समूह–ग) और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में समूह- ग कर्मचारियों में से जिनके पास मोटर कार चलने की दक्षता के मूल्यांकन हेतु किए गए ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर प्राप्त किया गया वैध ड्राइविंग लाईसेंस है जिसके न हो सकने पर केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों के ऐसे नियमित डिस्पैच राईडर अथवा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रु.) में समूह-ग कर्मचारियों में से जो कॉलम-7 में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएँ रखते हैं । सशस्त्र बल कार्मिकों के लिये प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन : सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त अथवा रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हो और जो अपेक्षित अनुभव और अर्हताएं रखते हों, पर भी विचार किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति काल दिया जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बल से रिलीज होने वाले हो और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है। <u>टिप्पण</u>: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक – सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-II	1* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पदोन्नति

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रूपये 19900-63200) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर जिन्होंने उस ग्रेड में नौ वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा पास की है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति: (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक – सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली– सदस्य।	लागू नहीं होता।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. स्टाफ कार ड्राईवर ग्रेड-I	2* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएंप्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे स्टाफ कार ड्राईवर- ग्रेड II जिन्होंने उस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा की है या स्टाफ कार ड्राईवर- ग्रेड-II तथा स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य ग्रेड) में सयुंक्त रूप से 15 वर्ष की सेवा की है और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा पास की है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष; 2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभारी उप निदेशक – सदस्य; 3. उप निदेशक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य; 4. परिवहन प्रभारी, कलावती सरन बाल अस्पताल - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[ए-11018/30/2019-एमएच II]

(जी.पी. सामंत)
अवर सचिव, भारत सरकार